

- आदेश -

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती करतुल्य लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थियों ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः अतिरिक्त इन्द्राज दुरस्ती किये जाने का आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
क्र. सं.	खाना संख्या	आलेखदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	आलेखदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
पापली	242	राजचंद पुत्र खैराचंद शक्ति लाल सा. 53 शेख सायब खैर सायब	142 242	6.74	राजचंद पुत्र खैराचंद खैराचंद शक्ति सायब (सा. 53 खैराचंद) शेख सायब खैर सायब	142 242	6.74

क्र.सं. 86
(2.11.21)
अतिरिक्त जिला कलक्टर -

1. उप तहसीलदार, मौलासर

शिविर प्रमारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डी.ड.वा.वा.)
दिनांक - 12/11/21

क्र.सं. 819
अतिरिक्त जिला कलक्टर -

शिविर प्रमारी
(अतिरिक्त जिला कलक्टर, डी.ड.वा.वा.)
दिनांक - 12/11/21

1. कलक्टर ह.का. पापली को भण्डार लेख है कि अन्य व्यावसायिक कर लगाने नहीं हो जा निम्नलिखित पालना सुनिश्चित करें।

उप तहसीलदार, मौलासर